रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2014/ फाल्गुन 28, 1935
No. 89] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2014/PHALGUNA 28, 1935

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2014

सं. भा.आ.प. 34(41)/2013–मेडि./64022.– भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, ''प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50/100/150/200/250 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999'' में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :–

1. (i) इन विनियमों को ''प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50/100/150/200/250 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, (संशोधन) 2013'' कहा जाए ।
   (ii) "वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रमाणीकरण की तारीख अर्थात् 21.10.2013 से प्रवृत्त होंगे।"
2. ''प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50/100/150/200/250 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999'' में किए गए **परिवर्धनों/संशोधनों/विलोपों/प्रतिस्थापनों को निम्नलिखित रूप में दर्शाया जाएगा** :–

खण्ड क. 1.9 में "पशु गृह" शीर्षक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:

"स्नातक- पूर्व पाठयक्रम में शरीरक्रिया विज्ञान तथा भेषज गुण विज्ञान के शिक्षण हेतु कम्प्यूटर सहायक मॉड्युल्स का प्रयोग करते हुए अपेक्षित ज्ञान व कौशल प्रदान किया जाए । सीपीसीएसईए के दिशानिर्देशों के अनुसार पशु रखने के लिए केवल क्षेत्र आवश्यक है ।"

अशोक कुमार हरित, उप–सचिव (प्रशा.)
[विज्ञापन III/4/असा./100/13]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामतः "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999'' भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35 (1)/1998–मेड (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग–III, धारा (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्तूबर, 2008, 8 जुलाई, 2009, 13 नवंबर, 2009, 18 जनवरी, 2010, 30 जनवरी, 2010, 26 फरवरी, 2010, 16 अप्रैल, 2010 और 4 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना द्वारा पुनः संशोधित किया गया था ।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2014

No. MCI-34(41)/2013-Med./64022.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Minimum Standard Requirements for 50/100/150/200/250 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999”, namely:—

1. (i) These Regulations may be called the “Minimum Standard Requirements for 50/100/150/200/250 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2013”.

   (ii) “They shall come into force from the date of authentication by Ministry of Health & Family Welfare, i.e., w.e.f. 21.10.2013”.

2. In the “Minimum Standard Requirements for 50/100/150/200/250 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999”, the following additions/modifications/deletions/ substitutions, shall be as indicated therein:—

In Clause A.1.9 the heading “Animal House” will be substituted as under:—

“For teaching Physiology and Pharmacology in UG curriculum, the required knowledge and skills should be imparted by using Computer Assisted modules. Only an animal hold area, as per CPCSEA Guidelines, is required.”

ASHOK KUMAR HARIT, Dy. Secy. (Admn.)

[ADVT. III/4/Exty./100/13]

Foot Note : The Principal Regulations namely, “Minimum Requirements for 50/100/150/200/250 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April, 1999” *vide* Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and amended *vide* corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended *vide* notification dated 20.10.2008, 08.07.2009, 13.11.2009, 18.01.2010, 30.01.2010, 26.02.2010, 16.04.2010 & 04.11.2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.